यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड के माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस आर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.7.2020 से 14.8.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी के मट्टू एवं श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री आई के जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 24.7.2019 से 03.8.2019 तक संपादित की गयी जिसमे 09/2018 से 06/2019 के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस विभाग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, स्वच्छकारों, वृद्धजनों, दिव्यांगों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों को विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान कर इनका सर्वांगीण विकास किया जाना है। विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कल्याणार्थ योजनाओं का सुचारु रूप से मूल्यांकन, क्रियान्यवन, निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना है ताकि इन वर्गों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सकें। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहरादून जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

   (₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (महिला कल्याण विभाग	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2225,2235,4225	11332.75	10811.28	521.47
2018-19	2225,2235,4225	11335.43	10515.37	820.06
2019-20	2225,2235,4225	12513.83	10886.54	1627.29
2020-21 (7/20)	2225,2235,4225	3442.85	3018.58	424.27

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	----------NIL----------					
2018-19						
2019-20						
2020-21 (7/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'बी' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. शासन स्तर पर: सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी
2. निदेशालय स्तर पर: निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य वित्त नियंत्रक, सहायक निदेशक, संख्याधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
3. जनपद स्तर पर: जिला समाज कल्याण अधिकारी, अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी, समूह ग एवं घ कर्मचारी
4. विकास खंड स्तर पर: सहायक समाज कल्याण अधिकारी

(ii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** के 07/2019 से 07/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/2020 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा-13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-02 'अ'

प्रस्तर01:- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ₹ 8.00 लाख का अनियमित भुगतान एवं ₹10.00 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से वर्ष 2019-20 मे इकाई स्तर पर पूरे वर्ष अवरुद्ध रखना ।

According to circullur No-11012/1/2013-NSAP of GOVT OF INDIA ministry of rural development dated-13/03/14 –

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना केवल बी.पी.एल. श्रेणी हेतु लागू है, जिसमें ₹ 20000/- की एक मुश्त सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ/मुख्य साधक मुखिया (पुरुष/महिला) की मृत्यु के पश्चात मृतक के उत्तराधिकारी को प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत कमाऊ मुखिया (पुरुष/ महिला) की उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून के वर्ष 2019-20 की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कुल 40 लाभान्वित लाभार्थियों को उक्त वर्ष मे ₹ 8.00 लाख का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त योजना के अंतर्गत इकाई को कुल ₹ 18.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमे से इकाई द्वारा ₹8.00 लाख की धनराशि के भुगतान के सापेक्ष कुल ₹ 18.00 लाख को पूरे वर्ष अपने अभिलेखो मे अवरुद्ध करके रखा गया तथा अवशेष धनराशि ₹ 10.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्त मे शासन को वापस किया गया । उक्त प्रकरण की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 मे इकाई स्तर पर मात्र 40 लाभार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, फिर भी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मात्र उक्त वर्ष मे ₹ 8.00 लाख की धनराशि के भुगतान की आवश्यकता के सापेक्ष पूरे वर्ष भर ₹ 18.00 लाख की धनराशि इकाई स्तर पर कोषागार से आहरण करके अवरुद्ध रूप से रखी गयी थी ,जिससे सिद्ध होता है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो केवल बी.पी.एल. श्रेणी हेतु लागू है के निदेशालय/शासन से उक्त योजना के अंतर्गत बजट मगाने के सम्बंध पूर्व मे कोई योजना निर्धारित नहीं की गयी थी।यदि समय रहते आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त योजना के बजट माँगने मे समझदारी का परिचय दिया होता तो वित्तीय वर्ष के अन्त मे इकाई द्वारा शासन को ₹ 10.00 लाख की धनराशि को वापस न किया जाता एवं वर्ष 2019-20 मे लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भुगतान हेतु शासन से उचित बजट की मांग की जाती एवं जिससे ₹ 10.00 लाख की धनराशि का व्यय शासन द्वारा लोक हित मे किसी दूसरी योजना मे किया जाता। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत आय के आधार पर भुगतान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके सम्बन्ध में अपर सचिव, समाज कल्याण के पत्र संख्या/142पी 19-एस./स.क./रा.पा.ला.यो./2018 . दिनांक 07 सितम्बर 2018 द्वारा स्पष्ट आदेश दिये गए थे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। परंतु इकाई द्वारा उक्त योजना से संबन्धित अभिलेखो को सम्प्रेक्षा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि कई लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा अपने बी.पी.एल प्रमाणपत्र एवं बी.पी.एल कार्ड अपने आवेदन पत्रो के साथ सलग्न नहीं किये गये थे तथा उक्त प्रपत्रों की वैधता अवधि का भी नवीनीकरण भी उनके

द्वारा नहीं कराया गया था। सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त योजना से संबन्धित प्रपत्रों की जांच मे यह भी पाया गया कि लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ संलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी । उक्त योजना से संबन्धित एक प्रपत्र ऐसा भी पाया गया जिसमे मृतक की मृत्यु की तिथि को क्रमश: दिनांक 10/01/2019 एवं 14/01/2019 को मुख्य चिकित्साधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा भिन्न -भिन्न तिथियो मे प्रमाणित किया गया, जिससे मृतक की मृत्यु की तिथि संदिग्धता के दायरे मे आ गयी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी की जांच पर संदेह पैदा करती है। उक्त योजनान्तगर्त धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते मे किया जायेगा तथा कोई भी अनियमित भुगतान नहीं किया जायेगा तथा लाभार्थियों के खातो को आधार से जोड़ा जायेगा, परंतु उक्त योजना की संप्रेक्षा जांच मे कई लाभार्थियों द्वारा इकाई को प्रस्तुत आवेदनो के आधार कार्ड सलग्न नहीं पाये गये , जबकि शासनादेश के अनुसार वर्ष 2017-18 से किसी भी योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के लाभार्थियों की आयु की जांच संदिगता के दायरे मे आती है। सम्प्रेक्षाजांच मे यह भी पाया गया कि कई आधार कार्ड/परिवार पंजिका ऐसे भी लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ संलग्न किये जिसमे उनकी जन्म तिथि- दिन, महीने एवं साल के अनुसार दर्ज नहीं पायी गयी तथा कई प्रकरणो मे लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा आवेदन पत्रो के साथ संलग्न किये आधार कार्ड मे अलग एवं अन्य प्रपत्र मे भिन्न नाम से दर्ज किया गया था ।जिसका विवरण निम्नवत है जो अनुलग्नक-**I** मे अंकित किया गया है ।

सम्प्रेक्षा द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ₹ 8.00 लाख का अनियमित भुगतान एवं र ₹ 10.00 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से वर्ष 2019-20 मे इकाई स्तर पर अवरुद्ध रखने के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित/पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि पूरे वर्ष भर मे 40 ही लाभान्वित लाभार्थियों द्वारा उक्त योजना हेतु आवेदन किये गए थे जिसके कारण मात्र राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ₹ 8.00 लाख का भुगतान किया गया था। सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा मात्र उक्त वर्ष मे ₹ 8.00 लाख की धनराशि के भुगतान की आवश्यकता के सापेक्ष पूरे वर्ष भर ₹18.00 लाख की धनराशि इकाई स्तर पर कोषागार से आहरण करके अवरुद्ध रूप से रखी गयी थी ,जिससे सिद्ध होता है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो केवल बी.पी.एल. श्रेणी हेतु लागू है के निदेशाल्य/शासन से उक्त योजना के अंतर्गत बजट मगाने के सम्बंध पूर्व मे कोई योजना निर्धारित नहीं की गयी थी । यदि समय रहते आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उक्त योजना के बजट मगाने मे समझदारी का परिचय दिया होता तो वित्तीय वर्ष के अन्त मे इकाई द्वारा शासन को ₹ 10.00 लाख की धनराशि को वापस न किया जाता एवं वर्ष 2019-20 मे लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर भुगतान हेतु शासन से उचित बजट की मांग की जाती एवं जिससे ₹ 10.00 लाख की धनराशि का व्यय शासन द्वारा लोक हित मे किसी दूसरी योजना मे किया जाता। सम्प्रेक्षा द्वारा उक्त योजना मे व्याप्त ₹ 8.00 लाख का अनियमित भुगतान

के सम्बंध मे पूछने पर कि जांच अधिकारियों की रिपोर्ट का सत्यापन क्या कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून द्वारा किया जाता है के सम्बंध मे अपने उत्तर मे अवगत कराया कि कार्य की अधिकता एवं कार्मिको की कमी के कारण गहनता से जांच नहीं हो पाती ।उक्त प्रकरण मे जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून का उत्तर ही सम्प्रेक्षा की आपत्ति की पुष्टि करता है । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-012/2020-21

<u>अनुलग्नक-I</u>

क्र0	लाभार्थी का नाम	मृतक का नाम	लाभार्थियों को भुगतान की गयी अनुदान की धनराशि (₹)	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अनियमित्तिताये के सम्बंध मे निम्न लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनो की नमूना जांच ।
1.	श्रीमति शीला देवी	स्वर्गीय जगदीश कुमार	20000.00	बी.पी.एल प्रमाणपत्र एवं बी.पी.एल कार्ड अपने आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये थे तथा उक्त प्रपत्रों की वैधता अवधि का भी नवीनीकरण नहीं कराया गया। आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड, परिवार पंजिका, आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।
2.	श्रीमति सजिया	स्वर्गीय फारुक	20000.00	मृतक की मृत्यु की तिथि को क्रमश: दिनांक 10/01/2019 एवं 14/01/2019 को मुख्य चिकित्साधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा भिन्न -भिन्न तिथियो मे प्रमाणित किया गया, जिससे मृतक की मृत्यु की तिथि संदिगता के दायरे मे आ गयी जो आहरण एवं वितरण अधिकारी की जांच पर संदेह पैदा करती है ।
3.	श्रीमति कांता देवी	स्वर्गीय भीम सिंह	20000.00	आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड, परिवार पंजिका, आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।
4.	श्रीमति कालो देवी	स्वर्गीय कृपाल सिंह	20000.00	बी.पी.एल प्रमाणपत्र एवं बी.पी.एल कार्ड अपने आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये थे तथा उक्त प्रपत्रों की वैधता अवधि का भी नवीनीकरण नहीं कराया गया । आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।
5.	श्रीमति मीना	स्वर्गीय अशोक कुमार	20000.00	आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।

6.	श्रीमति मीना देवी	स्वर्गीय धीरेंद्र सिंह	20000.00	मृतक का नाम वोटर आ0डी0कार्ड मे वीरेंद्र सिंह दर्ज है , जबकि आवेदन पत्र मे स्वर्गीय धीरेंद्र सिंह दर्ज है ।
07	श्रीमति विमला	स्वर्गीय प्रकाश	20000.00	परिवार रजिस्टर के अनुसार स्वर्गीय प्रकाश की उम्र 1964 है , इसके अनुसार मृतयू की तिथि को उनकी उम्र 55वर्ष जबकि परिवार बीपीएल पंजिका मे उनकी उम्र 58 वर्ष दर्ज है । भिन्नता से संदेह पैदा होता है ।आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।
08	श्रीमति विमला	स्वर्गीय बाल किशन	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया ।
09	श्रीमति शीला देवी	स्वर्गीय शिव कुमार	20000.00	आधार कार्ड/परिवार पंजिका मे मृतक की जन्म तिथि- दिन, महीने एवं साल के अनुसार दर्ज नहीं पायी गयी
10	श्रीमतिमैना देवी	स्वर्गीय बाबू राम	20000.00	मृतक के आधार कार्ड के अनुसार उम्र 59 वर्ष से अधिक पायी जिससे उनकी अनुदान की पात्रता संदिगद पायी गयी
11	श्रीमति पूनम	स्वर्गीय नैन सिंह	20000.00	आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड एवं राशन कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।
12	श्रीमति फरमीना खातून	स्वर्गीय अशरफ	20000.00	आवेदन पत्र मे लाभार्थी का नाम श्रीमति फरमीना खातून दर्ज है , जबकि बीपीएल कार्ड मे लाभार्थी का नाम फरमीना दर्ज है तथा आवेदन पत्र मे मृतक का नाम स्वर्गीय अशरफ दर्ज है , जबकि बीपीएल कार्ड मे मृतक का नाम स्वर्गीय अशरफ अली दर्ज है ।
13	श्रीमति राजकुमारी	स्वर्गीय जगमाल सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।
14	श्रीमति सोमबाला	स्वर्गीय पवन कुमार	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।
15	श्रीमति दीपा	स्वर्गीय धर्मपाल	20000.00	आवेदन पत्र मे लाभार्थी का नाम श्रीमति दीपा दर्ज है , जबकि आधार कार्ड मे लाभार्थी का दीपा देवी दर्ज है ।
16	श्रीमति शाहाजहाँ	स्वर्गीय इस्लाम	20000.00	आवेदन पत्रो के साथ सलग्न किये गये वोटर आ0डी0कार्ड ,परिवार पंजिका ,आधारकार्ड एवं बी.पी.एल कार्ड एवं राशन

				कार्ड आदि दस्तावेजो मे भिन्न-भिन्न जन्म तिथि अंकित पायी गयी ।आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन नहीं पायी गयी ।
17	श्रीमति मधु थापा	स्वर्गीय संतोष थापा	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था । आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
18	श्रीमति अनीता देवी	स्वर्गीय मेहर सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।
19	श्रीमति अंजु	स्वर्गीय पप्पू	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था ।
20	श्रीमति मंजीत कौर	स्वर्गीय जशवीर सिंह	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था । आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
21	श्रीमति सुमन	स्वर्गीय मिन्तर सैन	20000.00	आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता का नवीनीकरण करना नहीं पाया गया ।
22	श्रीमति फातमा	स्वर्गीय सलीम	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था । आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
23	श्रीमति हदिशा	स्वर्गीय इरफान	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था । आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
24	श्रीमति अमृता रावत	स्वर्गीय सुधीश रावत	20000.00	मृतक का आधार कार्ड प्रपत्रों के साथ सलग्न नहीं पाया गया जो वर्ष 2017-18 के अनुदेशों का उल्लंघन था । आवेदन के समय बीपीएल कार्ड की वैधता अधतन के सम्बंध मे कोई प्रमाण नहीं पाया गया ।
		योग	**480,000.00**	

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर01: राजकीय छात्रावास का संचालन शासन द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार नहीं पाया जाना।

समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उदेशय से जनपद देहरादून में स्थित 48 स्वीकृत क्षमता वाले 'राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास का संचालन पाया गया। इस संबंध में वर्तमान तक छात्रावास के संचालन के लिए विभाग का अपना नियमावली नहीं होने के कारण उत्तरप्रदेश शासन के नियमावली प्रभावी पाया गया। जांच में पाया गया कि छात्रावास के लिए विभाग द्वारा पदों का सृजन न होने कारण दिशानिर्देशन के अनुरूप रसोइया, छात्रावास की मेस तथा सुरक्षा की सुचारु व्यवस्था अनुपलब्ध थे। छात्रावास में अधीक्षक, 01 अनुसेवक तथा सफाईकर्मचारी की उपलब्धता पायी गयी तथा छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 48 की जगह 93 छात्र छात्रावास में निवास कर रहे थे। दिशानिर्देशन के अनुसार चयन समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि 03 माह मे कम से कम एकबार छात्रावास का निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा छात्रों द्वारा जलपान एवं भोजन व्यवस्था अपने व्यय पर अधीक्षक की सहमति से की जाएगी तथा सभी छात्रों को मेस में खाना अनिवार्य होगा, परंतु इनका अनुपालन लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि अनुसूचित जाति के लिये वर्तमान में एक ही छात्रावास संचालित है किन्तु अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास न होने के कारण शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि इस छात्रावास में जनजाति के छात्रों की भी प्रवेश देवें।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, मानदंड का उल्लंघन कर 48 की जगह 93 को प्रवेश दी गयी जबकि उसके अनुरूप तैनात कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ायी गयी तथा छात्रावास के संचालन मे पदों का सृजन तथा निर्धारण, आवश्यक दिशानिर्देश-रसोइया, मेस, सुरक्षाकर्मी तथा समिति द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण का अनुपालन नहीं हो रहा था।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग - 2 'ब'

प्रस्तर02:- नियोजन की कमी के कारण योजना की राशि समय सीमा के भीतर उपभोग नहीं किया जाना तथा रु 510.81 लाख की वितरित छात्रवृति मे दस्तावेजों की जांच में शिथिलता का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा में छात्रवृति से संबन्धित पत्रावली में पाया गया कि शासनादेश सं xvii-4/2017-01(82)/2014 दिनांक 01 जनवरी 2018 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त पात्र छात्र-छात्राओं को अपना पंजीकरण भारत सरकार के पोर्टल https://scholarship.gov.inपर करना आवश्यक होगा जिसके लिए समय-सारिणी का निर्धारण विभाग की ओर से उल्लेख पाया गया। इस संबंध में विगत 03 वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2019-20) के आंकड़ों का अध्ययन मे देखा गया कि जनपद मे शासकीय आदेश के अंतर्गत की जाने वाली शतप्रतिशत भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया फरवरी अंत तथा मार्च के दौरान किए जाने के फलस्वरूप कुल सत्यापित प्रकरणों 22261 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 मे 17374 प्रकरण ही सत्यापित हुये तथा वर्ष 2019-20 मे सत्यापन कार्य शून्य पाये गये। लक्ष्य को समय से पूरा करने में असफल होने के कारण निरन्तर वर्षों मे प्रयोजन हेतु आवंटित धनराशि पूर्णतः प्रयुक्त नहीं हो सकी, फलतः वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 में छात्रवृतिमद मे आवंटित धनराशि क्रमशः रु 2525.22 लाख तथा रु 1464.38 लाख के सापेक्ष रु 2010.90 लाख तथा रु 800.80 लाख ही व्यय किया जा सका। वर्ष 2019-20 की आवेदन की अंतिम तिथि 21/02/20 रखी गयी तथा मार्च माह मे भौतिक सत्यापन की अवधि निर्धारित पायी गयी, फलतः वर्षान्त अल्प अवधि होने के कारण सत्यापन का कार्य पूरा नहीं होने के कारण योजना की समस्त राशि उक्त वर्ष अप्रयुक्त पायी गयी। वर्ष 2018-19 मे सूचीबद्ध 57 नामित जांच अधिकारी मे से नमूना जांच के रूप मे लेखापरीक्षा मे 09 जांच अधिकारियों (उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर, तहसीलदार विकासनगर, मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून, खंड शिक्षाअधिकारी विकासनगर, उपजिलाधिकारी विकासनगर, खंड शिक्षाधिकारी देहरादून, जिला पंचायत अधिकारी देहरादून, सहायक निबंधक सहकारिता विकास भवन देहरादून) के रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 08 जांच अधिकारियों के प्रस्तुत पत्रावलियों मे निर्देशानुसार Domicile, caste certificate, income certificate, highschool marksheet, adharcard photocopy संबन्धित दस्तावेज़ अनुपलब्ध होने के कारण पूर्णरूप से उपलब्ध उपजिलाधिकारी ऋषिकेश से संबन्धित लाभार्थियों के प्रकरणों की ही जांच की गयी तथा लाभार्थियों से प्राप्त income certificate मे पायी गयी विसंगतियाँ का विवरण निम्नवत था:-

SI.NO.	Application Id & Date	Student's Name	Father's Name	Income certificate issuing date(valid for 06 months)
1	UT201819011682332 29/11/2018	BHAVANA	Satya Prakash	29 Jan 2018
2	UT201819011913929 19/01/2019	ABHISHEK CHAUHAN	Vijay Singh Chauhan	May 2019
3	UT201819011915143 19/01/2019	SHIVAM KUMAR	Pawan Kumar	22 March 2018
4	UT201819011923748 20/01/2019	POONAM GAHLOT	Rajendra	06 May 2017
5	UT201819011920916 20/01/2019	SHIVANI ARYA	Sanjay Kumar	02Aug 2016

उक्त सारिणी मे प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट था कि आयकर प्रमाणपत्र की वैध अवधि छात्रवृति आवेदन तिथि के समय अप्रभावी होने के बावजूद भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर किया गया कि जनपद स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा संबन्धित विदयालय में जाकर उनके प्रमाणपत्र एवं छात्र का भौतिक सत्यापन के उपरांत छात्रवृति की संस्तुति करते ही प्रमाणपत्र नहीं लगाये जाते है। प्रमाणपत्र जब ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड हो रहे है तो उन्हें दुबारा लिए जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। वर्ष 2019-20 के आवेदन पत्रों की अंतिम तिथि 25/02/2020 थी, किन्तु कोरोना महामारी के कारण माह मार्च से शिक्षण संस्थाएं बंद होने तथा प्रवेश मे लॉकडॉन के चलते छात्रवृति का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, दिशानिर्देश के अनुसार छात्रवृति बजट आवंटन का उपभोग संबन्धित वर्ष मे पूर्ण न होने पर धनराशि समर्पित हो जायेगी, भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन तिथि का निर्धारण विभाग की सहमति के पश्चात तय करने की प्रक्रिया है, फिर वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारम्भ कर लक्ष्य से पिछड़ना नियोजन की कमी पायी गयी। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पत्रावली की जांच मे उक्त 05 प्रकरणों मे invalid आय प्रमाणपत्र का पाया जाना से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सत्यापित जांच रिपोर्ट के आवश्यक दस्तावेजों से संबन्धित पत्रवालियों का भौतिक रूप से रखरखाव न कर निरीक्षण की कार्यवाही से बचना तथा पारदर्शिता का अभाव पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर03: अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी धनराशि ` 222.43 लाख के 24 कार्यों को अपूर्ण रखा जाना।

अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति के है, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना/निर्माण कार्य संचालित की जाती है। कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाते समय उक्त कार्य को पूर्ण किए जाने की समय-सीमा भी कार्य की प्रकृति को देखते हुए चयन समिति द्वारा निश्चित की जाएगी।
समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण इकाई को धनराशि प्राप्त होने के उपरांत 04 माह मे कार्य को तैयार कर विभाग को सौपा जाना/हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करना है एवं कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने पर कार्यदायी संस्था से कटौती किए जाने का प्रावधान है।
अवस्थापना निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक निम्न तालिका के अनुसार वर्ष 2018-19 के स्वीकृत कार्यों का विवरण/स्थिति निम्नवत है:

(` लाख मे)

वर्ष	स्वीकृत निर्माण कार्य की संख्या/धनराशि प्राप्त होने का माह	योजना की कुल लागत	कुल आवंटित धनराशि	व्यय राशि	पूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय राशि	पूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय राशि	अपूर्ण निर्माण कार्य	अपूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय राशि	धनराशि जिसकी UC प्राप्त हुई	धनराशि जिसकी UC नहीं प्राप्त हुई
2018-19 (एसटी)	16/ जनवरी 19 & मार्च -19	142.66	142.66	140.66	08	75.65	08	65.01	86.69	53.97
2018-19 (एससी)	39/दिसंबर-18 & जनवरी 19, फरबरी 19	419.69	419.69	410.21	21	252.79	17[1]	157.42	251.59	158.62
योग	**55**	**562.35**	**562.35**	**550.87**	**29**	**313.54**	**25**	**222.43**	**338.28**	**212.59**

जांच मे पाया गया कि कार्यदायी संस्था को धनराशि समय से प्राप्त हो जाने पर भी लेखापरीक्षा तिथि तक वर्ष 2018-19 के स्वीकृत कार्य मे से धनराशि `222.43 लाख के 24 निर्माण कार्य अपूर्ण पाये गए एवं समझौता ज्ञापन के अनुसार समय पर कार्य को पूर्ण नहीं किए जाने पर ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जाना पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रकरण को इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षित इकाई ने उत्तर दिया कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्थाओं से पत्राचार किया जाता है। अपूर्ण निर्माण कार्यों की कार्यदायी

[1] एक योजना की धनराशि `4.48 लाख समर्पित

संस्थाओं से अध्यतन स्थिति प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। वर्तमान मे समझौता ज्ञापन के अनुसार समय पर कार्य को पूर्ण नहीं किए जाने पर ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जा रहा है भविष्य मे काटा जाएगा। लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने पर इकाई के द्वारा कार्यदायी संस्था से किसी प्रकार की अर्थदण्ड की कटौती नहीं किया जा रहा है।

अतः धनराशि ` 222.43 लाख के 24 कार्यों को लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण रहने के प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-02 'ब'

प्रस्तर04:- इकाई द्वारा ₹1.83 करोड़ की विभिन्न मदों की धनराशि को उत्तराखंड शासन से बिना अनुमति प्राप्त किये पी०एल०ए० खाते में न रख कर धनराशि को बैंक के चालू खाते में रखा जाना ।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-वित्त अनुभाग-03/876/2003-04 दिनांक 30/04/2003 तथा पत्र संख्या-99/**XXVII/ 14/2009** दिनांक 03/09/2009 मे स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभागो के कार्यो हेतु बैंक मे खाता खोलने का कोई प्रविधान नहीं है, जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्रदान न की गयी हो । अत: यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जाये एवं खाते मे अवशेष धनराशि को विभागीय पी०एल०ए० खाते मे स्थानांतरित किया जाये। शासनादेश मे यह भी स्पष्ट किया गया राज्य की अर्थोपाय स्थिति मे संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि समेकित निधि से आहरण तब किया जाये जब धनराशि के व्यय की तत्काल आवश्यकता हो, के सिद्धांत पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानो आदि के अधिकारी सुसंगत लेखाशीर्षक के आधीन कोषागार मे पी०एल०ए० यदि पूर्व मे न खुला हो खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित कर सभी धनराशियाँ जो बैंक मे रखी गयी है उन्हे तत्काल विभागीय पी०एल०ए० मे जमा किया जाये ।

ज़िला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून द्वारा सम्प्रेक्षा को निम्न योजनाओ की धनराशियों के उपलब्ध कराये गए अभिलेखो की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उनके द्वारा शासन से प्राप्त केंद्रान्श एवं राज्यान्श मद के रूप मे विभिन्न पेन्शन मद की धनराशियों को रखने हेतु बैंक मे चालू खाता खुलवा कर उक्त धनराशियों का रख रखाव किया जा रहा है। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई को विभिन पैंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-2019-20 एवं 2020-21 मे केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या-15, 30 एवं 31 मे जारी धनराशियों के सापेक्ष उक्त पैंशन योजनाओ से संबन्धित लाभार्थीयो की केंद्र/राज्य से प्राप्त धनराशियों एवं निदेशक समाज कल्याण उत्तराखंड हल्द्वानी के आवंटन पत्र संख्या 3045/स0क0/लेखा/बजट-आवंटन(22)/2019-20 दिनांक 05/12/2019, एवं आवंटन पत्र संख्या 4917/स०क०/लेखा/बजट-आवंटन(22)/2019-20 दिनांक 17/03/20 के द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना मद के अंतर्गत अनुदान संख्या-**PAC** लेखा शीर्षिक-8000-00-201-00-00 के connecting लेखा शीर्ष अनुदान संख्या-30 के लेखा शीर्ष -2225-01-102-01-01 प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना मानक मद 20-सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता के अधीन क्रमश: ₹1.10 लाख एवं ₹60.00 की धनराशि एवं मानक मद अन्य व्यय संख्या-42 से संबन्धित ₹ 3.30 लाख एवं ₹3.60 लाख की धनराशि के रखरखाव हेतु के शासनादेश संख्या:-वित्त अनुभाग-3/2003-04 दिनांक 30/04/2003 तथा पत्र संख्या-99/**XXVII/14/2009** दिनांक 03/09/2009 के अनुपालन मे शासन से **PLA** खाते खुलवाने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किया तथा इकाई द्वारा उक्त धनराशियों को चालू खाते मे रखने के कारण कोई ब्याज भी अर्जित नहीं किया जा रहा था। सम्प्रेक्षा जांच मे यह भी पाया गया कि वर्ष 2020-21 के माह 07/20 तक वृद्धावस्था एवं

दिव्यांग पेंशन योजना(केंद्राश/राज्यान्श) के अन्तर्गत ₹6.80 लाख की धनराशि लाभार्थियो की मृत्यु अथवा अन्य कारणो से बैंक के द्वारा कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को वापस कर दी गयी थी जो इकाई द्वारा रखरखाव किये जा रहे बैंक के चालू खातो मे सम्प्रेक्षा तिथि -08/20 तक उनके द्वारा जमा की गयी थी । उक्त चालू खातो मे अवरुद्ध पेंशन की धनराशियों का सम्प्रेक्षा तिथि -08/20 तक विवरण निम्नवत है :-

	योजना का नाम	खाते की प्रकृति	बँक का नाम/खाता संख्या	अवशेष धनराशि (₹) मे
01	दिव्यांग पेंशन योजना (केंद्राश/राज्यान्श)	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	22913.00
02	वृद्धावस्था पेंशन योजना(केंद्राश/राज्यान्श	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	656759.00
03	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	60,00000.00
04	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	50,00000.00
05	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	3,30000.00
06	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	60,00000.00
07	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	चालू	आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252	3,60000.00
			योग	18339672.00

कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून के बैंक खातों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन से ₹ 1.83 करोड़ की धनराशि को बचत/चालू खाते मे रखने हेतु कोई कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी एवं न ही विभाग द्वारा चालू खाते का रखरखाव/संचालन आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून मे करने हेतु उच्च अधिकारियों/शासन से अनुमति प्राप्त की गयी थी। विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि-08/20 तक पी०एल०ए० खाता नहीं खोला गया था। जो कि शासन के शासनादेश संख्या:-वित्त अनुभाग 3/2003-04 दिनांक 30/04/2003 तथा पत्र संख्या 99/XXVII/14/2009 दिनांक -03/09/2009 स्पष्ट उल्लंघन था।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि पीएलए खाता खोलने के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून द्वारा सम्प्रेक्षा को पत्र संख्या 3374/स0क0/पी0एल0ए0 /2019-20 दिनांक -19/12/19 जो निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी को

लिखा गया है की प्रति उपलब्ध करायी गयी , परन्तु सम्प्रेक्षा तिथि-08/20 तक उक्त प्रकरण मे निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹ 6.80 लाख की धनराशि लाभार्थियो की मृत्यु अथवा अन्य कारणो से बैंक के द्वारा कार्यालय ज़िला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून को वापस करने के सम्बंध मे पुछने पर विभाग ने उत्तर में कहा है उक्त धनराशियों ₹ 6.80 लाख के भुगतान हेतु पेन्शनरो से सही खाते एवं अन्य प्रपत्र व ओप्चारिक्ताओ को पूर्ण करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है । प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की इकाई के चालू खाते मे ₹ 17.69 लाख के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि उक्त मद की धनराशि को **lapse** होने से बचाने के लिए उक्त धनराशि को लगभग 06-08 महीने से उनके द्वारा संचालित चालू खाता संख्या-आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून/148902000000252 मे रखी गयी थी। विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा मे मान्य नहीं है । क्योकि इकाई द्वारा उत्तराखंड शासन से ₹ 1.83 करोड़ की धनराशि को बचत/चालू खाते मे रखने हेतु कोई कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। एवं न ही विभाग द्वारा चालू खाते का रखरखाव/संचालन आई0ओ0बी0 कालोनी देहरादून मे करने हेतु उच्चाधिकारियों/शासन से अनुमति प्राप्त की गयी थी । विभाग द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि- 08/20 तक पी एल ए खाता नहीं खोला गया था। जो कि शासन के शासनादेश संख्या:- वित्त अनुभाग-3/2003-04 दिनांक-30/04/2003 तथा पत्र संख्या-99/**XXVII/14/2009** दिनांक -03/09/2009 स्पष्ट उल्लंघन था। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/10/2010-11	--	1,2,3,4	-
SS/___/2011-12	-	1,2,3	-
SS/64/2012-13	-	1,2,3,4	-
SS/62/2014-15	1	1,2,3,4	1
SS/37/2016-17	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	-
SS/66/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7	-
SS/91/2018-19	1	1,2,3,4,5	1
SS/51/2019-20	-	1,2,3,4,5	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/10/2010-11	--	1,2,3,4	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/___/2011-12	-	1,2,3	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/64/2012-13	-	1,2,3,4	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/62/2014-15	1	1,2,3,4	1	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/37/2016-17	-	1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/66/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7	-	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/91/2018-19	1	1,2,3,4,5	1	अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत
SS/51/2019-20	-	1,2,3,4,5		अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

इकाई के द्वारा उत्तर दिया गया कि प्रस्तरों के निस्तारण हेतु अनुपालन आख्या महालेखाकर कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निदेशक को समय समय पर अनुपालन आख्या भेजा जा चुका है। पुनः निदेशक से संस्तुत कराकर लेखापरीक्षा कार्यालय को अनुपालन आख्या शीघ्र अग्रसारित किए जाएंगे।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
01	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी	07/2019 से 12/2019
02	सुश्री हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी	01/2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए०एम०जी०-I), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I